



कार्यालय आदेश

एतद्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 31.07.2021 में प्रस्तावित प्रस्ताव “विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों हेतु सहमति शुल्क के निर्धारण प्रदूषण सूचकांक (Pollution Index) के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध” में निम्न निर्णय लिया गया :-

उद्योगों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी उद्योगों के पैमाना (Scale of Industry) के अनुसार कार्यवाही की जाय। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव को मसौदा के रूप में समझा जाय तथा इस प्रस्ताव को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संगठन को उनके टिप्पणी हेतु प्रसारित किया जाय। इसके साथ-साथ उपरान्त विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर उनकी आख्या प्राप्त किया जाय। तदोपरान्त संकलित प्रस्ताव को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

इस सम्बन्ध में श्री एस० एस० पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा०) एवं डा० अंकुर कसल, पर्यावरण अभियंता को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

OFFICE COPY

(एस० पी० सुबुद्धि)  
सुदर्शन सचिव

यूकेपीसीबी/एच.ओ./27वीं बो० बै०/सा०-०६/२०२१/ २८१५-५६६

दिनांक २५, .०८.२०२१

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री पी० के० जोशी, पर्यावरण अभियंता /डा० अंकुर कसल, पर्यावरण अभियंता/श्री सोमपाल सिंह, पर्यावरण अभियंता/डा० राजेन्द्र सिंह, सहा० वैज्ञानिक अधिकारी/श्री अनुराग नेगी, सहा० पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/लड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

OFFICE COPY

(सुदर्शन एस० पाल)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी